## MRA En USIUA The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] No. 79] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2006/फाल्गुन 12, 1927 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2006/PHALGUNA 12, 1927

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारतीय रिक्तर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 10 फरवरी, 2006

सं. फेमा 146/2006-आर बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2006

सा.का.नि. 130(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (i), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 21/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2006 कहलाएंगे।
  - (ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 2. विनियमावली 3 में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) विनियमावली, 2000 (अब से आगे मूल विनियमावली के रूप में उल्लिखित) के विनियम 3(क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

''(क) भारत में कृषि/बागवानी अथवा फार्म हाऊस से इतर किसी अचल संपत्ति का अधिग्रहण:

> बशर्ते अचल संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में खरीद मूल्य का भुगतान, यदि कोई हो (i) भारत से बाहर के किसी स्थान से आवक प्रेषण के रूप में सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत में प्राप्त निधियों अथवा (ii) अधिनियम के प्रावधानों और रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार रखे गए किसी अनिवासी खाते में रखी गई निधियों में से किया जाएगा।

> बशर्ते इसके अलावा कि यात्री चेकों अथवा विदेशी मुद्रा नोटों अथवा इस खंड में विशेष रूप से अनुमत प्रकार को छोड़कर किसी अन्य प्रकार से अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए खरीद मूल्य का भुगतान नहीं किया जाएगा!

- 3. विनियम 4 में संशोधन.—विनियम 4 में खंड (क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
  - "(क) भारत में कृषि/बागवानी अथवा फार्म हाऊस से इतर किसी अचल संपत्ति का अधिग्रहण:

बशर्ते अचल संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में खरीद मूल्य का भुगतान, यदि कोई हो (i) भारत से बाहर के किसी स्थान से आवक प्रेषण के रूप में सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत में प्राप्त निधियों अथवा (ii) अधिनियम के प्रावधानों, और रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार रखे गए किसी अनिवासी खाते में रखी गई निधियों में से किया जाएगा।

620 G1/2006

बशर्ते इसके अलावा कि यात्री चेकों अथवा विदेशी मुद्रा नोटों अथवा इस खंड में विशेष रूप से अनुमत प्रकार को छोड़कर किसी अन्य प्रकार से अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए खरीद मूल्य का भुगतान नहीं किया जाएगा।''

[फा.सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड IV]

विनय बैजल, मुख्य महाप्रबंधक

षाद टिप्पणी: — मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 8, 2000 के सं. सा.का.नि. 407(अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् 19 अगस्त, 2002 के सं. सा.का.नि 578(अ) और जुलाई 22, 2003 के सं. सा.का.नि. 557(अ) द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

## NOTIFICATION

Mumbai, the 10th February, 2006

NO. FEMA 146/2006-RB

Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India)
(Amendment) Regulations, 2006

- G.S.R. 130(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub-section (3) of Section 6, Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 21/2000-RB dated May 3, 2000:—
- 1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Amendment) Regulations, 2006.
  - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of Regulation 3.— In regulation 3 of the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the principal regulations), for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

"(a) acquire immovable property in India other than an agricultural property, plantation, or a farm house:

Provided that in case of acquisition of immovable property, payment of purchase price, if any, shall be made out of (i) funds received in India through normal banking channels by way of inward remittance from any place outside India or (ii) funds held in any non-resident account maintained in accordance with the provisions of the Act and the regulations made by the Reserve Bank.

Provided further that no payment of purchase price for acquisition of immovable property shall be made either by traveller's cheque or by foreign currency notes or by other mode other than those specifically permitted by this clause."

- 3. Amendment of Regulation 4.—In regulation 4, for clause (a), the following shall be substituted, namely:—
  - "(a) acquire immovable property in India other than an agricultural property, plantation, or a farm house:

Provided that in case of acquisition of immovable property, payment of purchase price, if any, shall be made out of (i) funds received in India through normal banking channels by way of inward remittance from any place outside India or (ii) funds held in any non-resident account maintained in accordance with the provisions of the Act and the regulations made by the Reserve Bank.

Provided further that no payment of purchase price for acquisition of immovable property shall be made either by traveller's cheque or currency notes of any foreign country or any mode other than those specifically permitted by this clause."

[No. F. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

VINAY BAIJAL, Chief General Manager

Foot Note.— The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 407(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* No. G.S.R. 578(E) dated August 19, 2002 and 557(E) dated July 22, 2003.